मतदाता जागरूकता फ़ोरम

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

वीएएफ क्या है ?

मतदाता जागरूकता फ़ोरम (वीएएफ) मतदाता सूची में पंजीकरण एवं मतदान की वास्तविक गतिविधियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी मूलभूत प्रक्रियाओं, विचारों एवं जागरूक चर्चाओं को साझा करने का एक अनौपचारिक मंच है। ECI का लक्ष्य वीएएफ के माध्यम से सभी कारपोरेट, सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों में मतदाता जागरुक्ता/शिक्षा को बढ़ावा देना है।

वीएएफ के सदस्य कौन बन सकते है ?

वीएएफ के सदस्य स्वैच्छिक तौर पर संबंधित कार्यालय के सभी कर्मी बन सकते हैं।

वीएएफ के सदस्य क्या करेंगे?

वीएएफ में सदस्य को ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों में संलग्न किया जाएगा जो सभी सदस्यों को निर्वाचन प्रणाली के विशिष्ट ज्ञान से जोड़ते हुए एक सशक्त मतदाता के तौर पर विकसित करने में सहायक हो।

वीएएफ की संरचना क्या है?

1. प्रत्येक संगठन अथवा कार्यालय का प्रमुख वीएएफ की अध्यक्षता करेगा।

2. अध्यक्ष : एक किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। इसमें उस अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें निर्वाचन कार्यो का पूर्व अनुभव हो।

नोडल अधिकारी की भूमिका क्या है?

नोडल अधिकारी वीएएफ के संयोजक के रूप में कार्य करेगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ वीएएफ के संसाधनों के लिए समन्वय स्थापित करेगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के नोडल अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय के साथ समन्वय करेंगे एवं उन्हें वीएएफ संबंधित संसाधनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

वीएएफ की गतिविधियों को कौन आयोजित करेगा?

वीएएफ की गतिविधियों को कार्यकारी समिति द्वारा समन्वित किया जाएगा । कार्यकारी समिति का चयन वीएएफ के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। किसी संगठन में मनोरंजन क्लब, स्पोर्ट्स क्लब इत्यादि जैसे मौजूदा क्लब और इसी तरह के अन्य निकाय भी वीएएफ की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य कर सकते हैं।

वीएएफ गतिविधियों का कैलेंडर

वीएएफ द्वारा एक वर्ष में सात गतिविधियों को आयोजित किया जाना है।
(वीएएफ नोडल अधिकारी के लिए तैयार वीएएफ संसाधन पुस्तिका में इस बारे में विस्तार से बताया गया है)

I. वीएएफ का उद्घाटन : केवल प्रथम वर्ष के लिए

उद्घाटन : गतिविधि में संगठन के सभी कर्मचारियों के लिए ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा जहां उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया की मूलभूत बातों को बताने के साथ वीएएफ के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। इसके उद्घाटन के बाद (पंजीकरण) और नाम जांच करने की गतिविधि को प्रारम्भ किया जा सकता है।

II. पंजीकरण और नाम जांच

कर्मचारियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है यदि वे पहले पंजीकृत नहीं हुए हों। इसके अलावा वीएएफ के पंजीकृत सदस्यों को एनवीएसपी पोर्टल (www.nvsp.in) के जरिये मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा।

III. राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) के अवसर पर शपथ लेना

प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है जो भारत के मतदाताओं को समर्पित है। निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एनवीडी एक अनोखा अभ्यास है। एक संगठन के भीतर सभी कर्मचारी एक साथ एकत्रित होकर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता शपथ लेंगे। यह शपथ भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तथा वीएएफ संसाधन पुस्तिका में उपलब्ध है।

IV. मत पत्र तैयार करना

हर चुनाव के लिए कर्मचारी खुद से मत पत्र तैयार करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। इस गतिविधि का मकसद सदस्यों को उस प्रक्रिया से अवगत कराना है, जिसके द्वारा मत पत्र में उम्मीद्वारों का क्रम तय किया जाता है। इस गतिविधि के जरिये सदस्य डमी (या वास्तविक) उम्मीद्वारों के साथ अपना मत पत्र तैयार करेंगे और नोटा समेत सभी उम्मीद्वारों के चुनाव चिन्ह भी तैयार करेंगे।

V. प्रश्नोत्तरी

वीएएफ के जरिये कार्यालय के सभी सदस्यों के साथ 20-25 सवालों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। नोडल अधिकारी के पास वीएफ प्रश्नोत्तरी संबंधित सवाल और जवाब वीएएफ रिसोर्स पुस्तिका में नमूने के तौर पर उपलब्ध है। विजेता टीम जवाब देने वाले हर सदस्य को टोकन गिफ्ट देकर प्रश्नोत्तरी को ज्यादा रोचक बनाया जा सकता है।

VI. राजभाषा दिवस

राजभाषा दिवस के अवसर पर हिंदी में कई तरह की साहित्यिक और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर इसे मनाया जाता है। इसके तहत प्रतिभागियों को चुनावों के महत्व या मत से संबंधित विषय दिए जा सकते है। वीएएफ पुस्तिका में ऐसे विषयों की सूची मौजूद है।

VII. फ्लोर गेम (वैकल्पिक)

भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश फैलाने की खातिर तमाम निर्देशों के साथ पांच फ्लोर गेम विकसित किए गए हैं। इन पांच गेम में स्टापू (Stapoo) और सांप-सीढ़ी का खेल शामिल हैं। स्टापू में मतदान के विभिन्न चरणों के बारे में बताया गया है, जबकि सांप-सीढ़ी में निर्वाचन प्रक्रिया का जिक्र है। इसी तरह maze में निर्वाचन प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न फॉर्म के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा चुनाव में सुगमता पर आधारित लूडो और ईवीएम-वीवीपीएट की जानकारी के लिए गोल चक्कर जैसे खेल उपलब्ध हैं।

वीएएफ का विकास एवं महत्व

लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की जागरूक एवं नैतिक सहभागिता को विकसित करना महत्वपूर्ण पहलू है। भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की गुणवत्ता-पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम " सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) " के तहत विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा को विद्यालयों/ महाविद्यालयों और समुदायों में मुख्य धारा में लाने के लिए निर्वाचक साक्षरता क्लब जैसी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य सभी आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों में मतदाता शिक्षा को प्रसारित करना है। ईएलसी ने ही संगठनों के भीतर वोटर जागरूकता फ़ोरम (वीएएफ) का नाम ग्रहण किया है और इसका उद्देश्य एक संगठन के भीतर सभी कर्मचारियों को मतदाता शिक्षा प्रदान करना है।

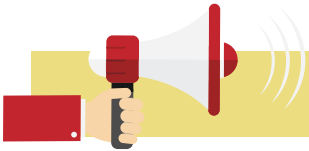

सभी भारतीय नागरिकों
हेतु महत्वपूर्ण जानकारियाँ

मतदाता सूची में नाम क्यों और कैसे दर्ज कराएं ?

- मतदाता बनने के लिए योग्यता- 1 जनवरी को 18 साल पूरा होना चाहिए, साथ ही चुनावी क्षेत्र का आम निवासी होना चाहिए।
- फॉर्म 6- मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए www.nvsp.in पर जाकर फॉर्म 6 भरें। फार्म 6 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) या बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) के पास से भी लिया जा सकता है।
- फॉर्म 6 के साथ जरूरी दस्तावेजों : जैसे एक पासपोर्ट साइज फोटो, उम्र और निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न चाहिए ।
- बीएलओ जांच के लिए आपके द्वारा दिए निवास पर भी पहुचेंगे। इस जांच के बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र या वोटर पहचान पत्र जारी किया जाता है।
- मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई निर्वाचक कहीं दूसरी जगह चला गया है या उसकी मौत हो चुकी है, तो इस फॉर्म को भरा जा सकता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के योग्य नहीं होने की स्थिति में भी उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने को लेकर आपत्ति दर्ज करने में भी किया जा सकता है।
- फॉर्म 8 मतदाता सूची में संशोधन या बदलाव के लिए है।
- अगर किसी निर्वाचक ने एक ही निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पता बदला हो तो फॉर्म 8 'क' को भरा जाता है । हालांकि, अगर पते में बदलाव अलग निर्वाचन क्षेत्र का है, तो उस निर्वाचक को फिर से फॉर्म 6 भरना होगा।
- किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा जगह पर मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- भारत निर्वाचन आयोग का हेल्पलाइन नंबर 1950 है।

चुनाव में मतदान

- चुनाव में मतदान से पहले आपको मतदाता सूची में अपने नाम की जांच जरूर करनी चाहिए।मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट और ईआरओं के कार्यालय में उपलब्ध है। मतदाता को यह कार्य मतदान के दिन से काफी पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आप इस सूची में अपना नाम पंजीकृत किए जाने के लिए ससमय आवेदन निर्धारित कर सकें।
- मतदाताओं को मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र पर या तो मतदाता पहचान पत्र या अन्य निर्धारित (Prescribed) पहचान प्रमाण लेकर जाना चाहिए।
- मतदान केंद्र के अंदर किसी भी तरह के गैजेट को लेकर जाने की अनुमति नहीं है।
- मतदाता केंद्र पर ईवीएम पर अपनी पसंद के उम्मीद्वार के नाम के सामने वाले बटन को दबाएं, जिसके बाद आपको बीप की आवाज सुनाई देगी।
- मतदाता को वीवीपीएटी से यह जरूरी तौर पर सत्यापित करना चाहिए कि उसका मत उस उम्मीद्वार के पक्ष में ही गया है, जिसके पक्ष में उसके द्वारा मतदान किया गया है। वीवीपीएटी इस बारे में 7 सेंकड के लिए जानकारी प्रदर्शित करेगा।
- यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करना चाहता है तो वे नोटा विकल्प दबा सकते हैं।
- नैतिक आधार पर मतदान करना चाहिए और मत का फैसला करते वक्त तमाम जानकारी के साथ अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करें।

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष: +91-11-23052205-18, फैक्स: +91-11-23052219
वेबसाईट: ecisveepnic.in, nvsp.in
हेल्पलाईन: 1950

Scan me